खण्ड - III

आयोजना परिव्यय 2010-2011

इस भाग में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु 2010-11 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है। वास्तविक लक्ष्यों, जहां कहीं भी दिए गए हों, के बाद दी गई टिप्पणियां संपूर्ण आयोजना परिव्यय के साथ जुड़ी है जिसमें बजटीय सहायता तथा आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आं.ब.बा.सं.) दोनों शामिल हैं। विवरण 12 में मंत्रालय/विभाग-वार आयोजना परिव्यय दर्शाया गया है। विवरण 13 में विभिन्न क्षेत्रों के तहत विकास-क्षेत्रों और विकास-शीर्षों द्वारा केन्द्रीय आयोजना-परिव्यय दर्शाया गया है। विवरण 14 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आयोजना निवेश दर्शाया गया है। विवरण 15 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन दिए गए हैं। विवरण 16 में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दर्शाई गई है। विवरण 17 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण दिए गए हैं। विवरण 18 में राज्य/जिला स्तर के स्वायत्तशासी निकायों/ कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय आयोजना सहायता के प्रत्यक्ष अन्तरण के लिए प्रावधान दिया गया है। विवरण 19 केन्द्रीय आयोजना में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए और राज्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं जिसमें अनुमानित अंतर्प्रवाह 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, का परियोजनावार ब्यौरा दर्शाता है। विवरण 20 लिंग आधारित स्कीमों के लिए परिव्यय और विवरण 21 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास के लिए परिव्यय दर्शाता है। विवरण 22 में बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान दर्शाए गए हैं।

2009-2010 के परिव्यय की तुलना में 2010-11 का आयोजना परिव्यय व्यवस्था इस प्रकार हैंः

(करोड़ रुपए में)

	बजट अनुमान 2009-2010	संशोधित अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 2010-2011
केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता	239840.00	229163.18	280599.99
सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन	208081.31	196426.87	243884.32
केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	**447921.31**	**425590.05**	**524484.31**
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**85309.00**	**86012.12**	**92492.00**

कृषि और संबद्ध कार्य

फसल कार्य : कृषि जिंसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यनीति विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर बल देती है। फसल कार्य के अधीन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 13,805.82 करोड़ रुपए है जिसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेबीआई) के लिए किया गया 6,722 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है। इनके लिए भी प्रावधान किया गया हैः समेकित तिलहन, पाम तैल, दलहन और मक्का विकास (500 करोड़ रु.), वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (10 करोड़ रु.), पौध संरक्षण (58.78 करोड़ रु.), बीज ढांचागत सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण (399.45 करोड़ रु.), कृषि अर्थ एवं सांख्यिकीय (130.50 करोड़ रु.), बीज (419.95 करोड़ रुपए), खाद और उर्वरक (40 करोड़ रु.), फसल बीमा (1,050 करोड़ रु.), पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तथा उत्तराखण्ड में बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन (400 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (1,061.98 करोड़ रुपए), लघु सिंचाई (1,000 करोड़ रुपए) तथा कृषि वृहत् प्रबन्धन (1,000 करोड़ रुपए)।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए भी 950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षो में किया गया बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	लाभान्वित किसान
2006-07	499.00	634.37	4520918
2007-08	500.00	718.88	3168529
2008-09	644.00	694.00	6160573 *
2009-10	644.00	1419.00	ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाना है।
2010-11	950.00		

* अनन्तिम

प्राकृतिक आपदाओं, कीट तथा बीमारियों के कारण फसलों के नष्ट होने की दशा में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999-2000 मौसम से लागू है। वर्तमान में, यह योजना 25 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

6,722 करोड़ रु. का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)के लिए है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए संकल्प के अनुसार जिसमें 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि हासिल करने की प्रति बद्धता दोहरायी गई थी, के अनुसार यह योजना 2007-08 के दौरान राज्य आयोजना स्कीम के तौर पर शुरू की गई थी। यह योजना आधारभूत व्यय के अतिरिक्त उनकी राज्य आयोजनाओं में महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने के लिए अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करेगी। 700 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था के साथ दो नए संघटकों को जिन्हें आरकेवीवाई के भाग के रूप में प्रारम्भ किया जाएगा, 2010-11 के लिए अनुमोदित किया गया है, अर्थात् (i) वर्षापोषित क्षेत्रों में सहायक कार्यक्रमों के बतौर वर्षापोषित क्षेत्रों में चुनिंदा दलहन/तिलहन उत्पादक गांवों में दलहन तथा तिलहन विकास हेतु विशेष पहल। यह पहल विशिष्ट रूप से वर्षापोषित क्षेत्रों में लक्षित होगी तथा इसे तिलहन तथा दलहन से सम्बद्ध कार्यक्रमों में अपनाए जाने वाले मानदण्डों के समान ही कार्यान्वित किया जाएगा, और (ii) पूर्वोत्तर भारत में कृषि में उपज अन्तर को पाटने सम्बन्धी योजना। इन दो नए उप-संघटकों को राज्यों द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श कर तैयार किया जाएगा और जिसमें कृषि तथा सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण तथा योजना आयोग शामिल होंगे तथा जो आरकेवीवाई की अनुमोदित प्रक्रिया का भाग बनेंगे।

1,350 करोड़ रु. का प्रावधान "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" के लिए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 129.50 करोड़ रुपए शामिल हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किए गए संकल्प के अनुसार यह योजना 2007-08 के दौरान शुरु की गई थी ताकि चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करके खाद्यानों में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

मृदा और जल संरक्षण : शीर्ष के अधीन परिव्यय 55.78 करोड़ रुपए है, जिसमें से 15.78 करोड़ रुपए अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण के लिए और 40 करोड़ रुपए की राशि "झूम खेती नियंत्रण (राज्य आयोजना)" के लिए है।

सहकारिता : इन कार्यक्रमों के लिए 87.05 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतः सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण, विकासात्मक कार्यकलापों के लिए

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहायता, भूमि विकास बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए है।

अन्य कृषि कार्यक्रम : कृषि विपणन योजनाओं यथा ग्रामीण गोदामों के निर्माण (100 करोड़ रुपए), विपणन अवसंरचना के ग्रेडिंग विकास (150 करोड़ रुपए), विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और विपणन सूचना नेटवर्क (3.50 करोड़ रुपए), आदि के लिए है।

पशुपालन : पशुधन के विकास के तीन उद्देश्य हैं, अर्थात् बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना; कृषि उत्पादन की वृद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त पशुशक्ति उपलब्ध कराना तथा पशु रोगों का नियंत्रण। वर्ष 2010 के लिए परिव्यय 848.15 करोड़ रुपए है।

डेरी विकास : 87.76 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतया सघन डेयरी विकास परियोजना; सहकारी समितियों को सहायता; गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध एवं डेयरी उत्पादों के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/मुर्गीपालन उद्यम पूंजी निधि के लिए है।

मत्स्य पालन : 262.44 करोड़ रुपए का परिव्यय मृदु जल एवं खारा जल मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने, मछली बंदरगाहों एवं लैंडिंग केन्द्रों के लिए सहायता प्रदान करने, समुद्री मत्स्य पालन विकास, मछुआरों के कल्याण, डाटा बेस एवं सूचना नेटवर्क प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं मत्स्य पालन संस्थानों तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सहायता प्रदान करने के लिए है।

वानिकी और वन्य जीव : पर्यावरण और वन मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 2,200 करोड़ रुपए है । 1,243.88 करोड़ रुपए की राशि पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण हेतु आवंटित की गयी है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 251.71 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय झील एवं नदी संरक्षण (गंगा कार्य योजना हेतु प्रावधानों सहित) हेतु शामिल की गयी है। 500 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की मूल निधि के लिए उपलब्ध करायी गयी है । 956.12 करोड़ रुपए की राशि वानिकी तथा वन्य जीवों हेतु निर्धारित है जिसमें से 303 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के लिए, 65 करोड़ रुपए वन प्रबंधन तीव्रीकरण, 70 करोड़ रुपए एकीकृत वन्य जीव वास के विकास, 201.50 करोड़ रुपए टाइगर परियोजना के लिए तथा 24 करोड़ रुपए की राशि पशु कल्याण हेतु शामिल की गयी है। कुल आयोजना परिव्यय में से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यक्रम के लिए 193.28 करोड़ रुपए की निधियों की व्यवस्था की गयी है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष वैज्ञानिक संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के माध्यम से कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। प्रावधान के मुख्य संघटक गुणवत्ता वाले बीजों में कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना, अधिक उपज देने वाली किस्मों/वर्णसंकर किस्म के बीजों का विकास, जैव-प्रौद्योगिकी को लागू करना, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, संसाधनों का संरक्षण, जैविक खेती के लिए प्रौद्योगिकी सृजन, प्रतिरक्षीकरण और नैदानिक एवं जेंडर संबंधी विषयों को सुदृढ़ बनाना है। इस क्षेत्र के लिए आयोजना परिव्यय 2,300 करोड़ रुपए है। इसमें से, 1,409.80 करोड़ रुपए फसल कार्यों के लिए, 293.97 करोड़ रुपए राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना (विदेशी सहायता प्राप्त एक परियोजना), 108 करोड़ रुपए पशुपालन के लिए, 55 करोड़ रुपए मत्स्य पालन के लिए और 120.03 करोड़ रुपए मृदा और जल संरक्षण, 200 करोड़ रुपए जलवायु समुत्थान कृषि पहल, 23 करोड़ रुपये राष्ट्रमंडल कृषि ब्यूरो। अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संबंधी परामर्शी दल/एशिया पेसिफिक कृषि अनुसंधान संस्थान संघ में योगदान के लिए है।

खाद्य भंडारण और भांडागारण : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद और उनका संवितरण करने के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। समाज के कमजोर और जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वर्ष 2010-11 में 17 करोड़ रुपए के परिव्यय से (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1.70 करोड़ रुपए सहित) ग्रामीण खाद्यान्न बैंकों की स्थापना करने की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा "गोदामों का निर्माण" योजना 40 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नए उभरते हुए प्रमुख अधि-प्राप्ति वाले राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी। वर्ष 2010-11 के दौरान 34.55 करोड़ रुपए के परिव्यय से "खाद्यान्न प्रबन्धन के लिए मूल्यांकन, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का सुदृढ़ीकरण" नामक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण, व्यावसायिक सेवाओं, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं क्षमता निर्माण के लिए सहायता अनुदान शामिल है। टीपीडीएस के लिए आशयित खाद्यानों की बर्बादी तथा अन्यत्र इस्तेमाल को रोकने, टीपीडीएस लाभार्थियों में उनकी हकदारिता और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरुकता पैदा करने की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा विभिन्न विकास सम्बन्धी योजनाओं हेतु 2 करोड़ रुपए तथा भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हेतु 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय भांडागारण निगम (सीडब्ल्यूसी) ने लगभग 2.90 लाख मी. टन भाडारण क्षमता की 104.96 करोड़ रुपए की लागत से भांडागारण क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है । केन्द्रीय भांडागारण निगम, राज्य भांडागारण निगम की शेयर पूंजी के समतुल्य अंशदान उनकी वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए प्रदान करता है। जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का कुल आयोजना परिव्यय रखा गया है जिसमें 20.55 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 76,100 करोड़ रुपए है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का आं.ब.बा.सं शामिल है। केंद्रीय आयोजना परिव्यय के मुख्य संघटक, ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, आवास निर्माण और सड़कें तथा पुल हैं।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसआई) के लिए परिव्यय 2,984 करोड़ रुपए है (जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु 301 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है)। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिनांक 1.4.1999 से अस्तित्व में आयी। इस परियोजना को एक ऐसे सम्पूर्ण कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है कि यह ग्रामीण गरीबों के संगठन को स्व-सहायता समूहों में परिवर्तित करने जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को तथा उनकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सामूहिक गतिविधियों का नियोजन, ढांचागत विकास, बैंक ऋण तथा सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता और विपणन सहायता आदि को अपने में शामिल कर सके। यह पहचान किए गए मुख्य कार्यकलापों में लघु उद्यमों के विकास में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर देता है। निधियों का वहन केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 है। इस योजना के लक्षित समूह में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीब परिवार शामिल हैं। लक्षित समूह के अन्तर्गत, इस योजना के मार्गनिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत तथा विकलांगों हेतु 3 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है। सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर-सरकारी, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा निजी कारपोरेट निकायों आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों सहित इसका जिलों तथा क्षेत्र में विस्तार करते हुए समयबद्ध परियोजना प्रणाली के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पहल करने की दृष्टि से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का 15 प्रतिशत भाग स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है। इसमें महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के लिए किया गया प्रावधान भी शामिल है जिसे प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, मिशन उप-संघटक के रूप में लिया जाएगा।

समेकित बंजर विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरू विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को समेकित करते हुए एकीकृत जलसंभर प्रबंध कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के रूप में नया नाम दिया गया है। आईडब्ल्यूएमपी की संशोधित योजना को जलसंभर विकास परियोजनाएं,

2008 में दिए गए सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना है। इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना का लागत मानदण्ड मैदानी इलाकों हेतु 12,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 15,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर है । इस लागत का वहन केन्द्र तथा राज्यों के मध्य 90:10 के अनुपात में किया जाएगा। भूमिहीन लोगों की आजीविका गतिविधियों से सम्बद्ध राज्य, जिला तथा ग्रामीण स्तर के समर्पित संस्थाओं हेतु नए संघटकों को आईडब्ल्यूएमपी में शामिल किया गया है। 11वीं योजना तक स्वीकृत जल संभर परियोजनाएं मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाती रहेंगी। आईडब्ल्यूएमपी के लिए 2458 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर तथा सिक्किम हेतु 245.80 करोड़ रुपए शामिल हैं।

ग्रामीण रोजगार : सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) 1 अप्रैल, 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) में शामिल की गई है। नरेगा को दिनांक 2.10.2009 से "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" के रूप में नया नाम दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए केन्द्रीय परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए है। नरेगा हर वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक तौर पर अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी के रूप में रोजगार प्राप्त करने की कानूनी गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकार ने 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ इस अधिनियम को इसके क्रियान्वयन के प्रथम चरण में देश के 200 जिलों में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। चरण-II के तहत 130 जिलों को दिनांक 1.4.2007 से अधिसूचित किया गया और उन्हें इसकी परिधि में लाया गया। देश के शेष जिलों को भी दिनांक 1.4.2008 से तीसरे चरण में शामिल किया गया है। ऐसा किए जाने से निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी जिलों को शामिल कर दिया गया है।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमः कुल आयोजना परिव्यय 1,016 करोड़ रुपए का है जिसमें डीआरडीए के प्रशासन के लिए (405 करोड़ रुपए), एनआईआरडी (105 करोड़ रुपए), कापार्ट (100 करोड़ रुपए), ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) (124 करोड़ रुपए) और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और जिला नियोजन प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण (120 करोड़ रुपए) शामिल है। "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त व्यवस्था" शीर्ष के अन्तर्गत अलग से 92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

डीआरडीए प्रशासन स्कीम का उद्देश्य डीआरडीए को सुदृढ़ बनाना और इन्हें अधिक व्यावसायिक तथा प्रभावी बनाना है। इसे एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में देखा जाता है जो एक ओर मंत्रालय के गरीबी-रोधी कार्यक्रमों का प्रबंधन करने में समर्थ होगी तो दूसरी और जिलों में गरीबी उन्मूलन के समग्र प्रयास इससे कारगर तरीके से सम्बद्ध होंगे। प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए इस स्कीम का निधियन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में 90:10 के आधार पर किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र 100 प्रतिशत निधियां मुहैया कराता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय है। ग्रामीण विकास के विकासात्मक मुद्दों और पंचायती राज के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करना एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं।

लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का लक्ष्य विकास कार्यक्रमों तथा आवश्यकता आधारित अभिनव परिवर्तन के क्रियान्वयन में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के जरिए लोगों को शामिल करना है। कपार्ट अधिक सामाजिक अभिप्रेरणा, सामाजिक विघ्नों को कम करने और ग्रामीण जनता को सशक्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन आन्दोलन सृजित करने के लिए कार्य करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान का लक्ष्य गावों से शहरों में पलायन रोकने के लिए उनकी विकास क्षमता बढ़ाने हेतु अभिचिन्हांकित ग्रामीण समूहों में भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में अन्तर को पाटना है।

"ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधकीय सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण योजना" का लक्ष्य उचित आयोजना, समन्वयन और क्रियान्वयन, प्रशिक्षण और कौशल विकास, लक्षित समूहों के बीच जागरुकता लाना, प्रभावी मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए व्यापक पद्धति विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्तराष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकता पूरी करना है।

पंचायती राज : पंचायती राज मंत्रालय के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 120 करोड़ रुपए (जिसमें से 12 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए निर्धारित है)। पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान निधि के तहत राज्य आयोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता परिव्यय 5,050 करोड़ रुपए है जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण के अंतर्गत दिए गए 1130 करोड़ रुपये शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य, संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों और जिला नियोजन समितियों से संबद्ध संविधान के भाग IX क के अनुरूप 243 यघ के क्रियान्वयन की मानीटरी करना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम पंचायतों की क्षमता में सुधार हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करती है और उन्हें आवश्यक प्रशासनिक तथा आधारभूत सहायता उपलब्ध कराती है ताकि वे उन्हें सौंपे गए कार्यों तथा स्कीमों का प्रभावी ढंग से निष्पादन कर सकें। पंचायत सशक्तीकरण तथा जवाबदेही प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पंचायत राज के राज्य मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को सुधार कार्य करने तथा पंचायतों को शक्तियों की सुपुर्दगी हेतु प्रोत्साहित करना है। बीआरजीएफ ने केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम और नीतियां बनाने की पहल शुरू की है जो विकास बाधाओं को दूर करेगा, विकास प्रक्रिया त्वरित करेगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। इस योजना का लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए संकेन्द्रित विकास कार्यक्रम जो असंतुलन कम करने और विकास तेज करने में सहायता करेगा। पिछड़े जिलों में सभी स्तरों पर पंचायतों की बीआरजीएफ के तहत आयोजना और योजनाओं के क्रियान्वयन में केन्द्रीय भूमिका होगी।

भूमि सुधार : इस क्षेत्र के लिए केंद्रीय परिव्यय 201 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 20 करोड़ रुपए शामिल है। इसमें से 1 करोड़ रुपए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के लिए हैं। भूमि सुधारों के अंतर्गत दो केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत सहायता दी जाती है। ये योजनाएं हैं भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण और राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण और भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाना। इन योजनाओं का 2008-09 से विलयन, रुपांतरण कर दिया गया है और इन्हें राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) का नाम दिया गया है। इसका अधिक व्यापक कार्यक्षेत्र और विस्तार होगा और इसका लक्ष्य निश्चित स्वामित्व और स्वामित्व की गारंटी की प्रणाली शुरू करना होगा। एनएलआरएमपी के अंर्तगत सभी क्रियाकलाप एक व्यवस्थित तरीके से किए जाएंगे। जिला, कार्यान्वयन की प्राथमिक यूनिट होता है, में एनएलआरएमपी शुरू किया जाएगा। इसमें 12वीं योजना के अंत तक देश के सभी जिलों को कवर कर लिया जाएगा। एनएलआरएमपी के अंतर्गत गठित परियोजना स्वीकृति और मॉनिटरिंग समिति परियोजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान कर लगभग 104 जिलों को शामिल किया गया है।

संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति (एनआरआरपी) 2007 में उन बुनियादी न्यूनतम जरूरतों की व्यवस्था है जो अनैच्छिक विस्थापन की ओर जाने वाली सभी परियोजनाओं की ओर ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य सरकारें,पब्लिक क्षेत्र के उपक्रमों या एजेन्सियों और अन्य निकाय एनआरआरपी-2007 में निर्धारित लाभों की अपेक्षा अधिक लाभों के स्तर प्राप्त करने हेतु तंत्रों की व्यवस्था करने में स्वतंत्र होंगे। यह उन व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्संस्थापन पर भी लागू होगा जो किसी अन्य कारण के अनैच्छिक रूप से स्थायी तौर पर विस्थापित हुए हैं। नीति का कारगर कार्यान्वयन और मानीटरिंग करने के लिए मानिटरिंग तंत्र में नेशनल ओवर साइट बॉडी, नेशनल मानीटरिंग समिति और मानीटरिंग कक्ष की स्थापना विहित है।

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण

वृहत् और मध्यम सिंचाई: इस क्षेत्र के अन्तर्गत 254 करोड़ रुपए का परिव्यय जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास, जल-विज्ञान परियोजना, जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण, जल क्षेत्र अनुसंधान तथा विकास, राष्ट्रीय जल अकादमी, सूचना, शिक्षा और संचार, नदी पाला संगठन/प्राधिकरण, आधारभूत संरचना विकास और बांध सुरक्षा अध्ययन तथा नियोजन के लिए है।

लघु सिंचाई : इस क्षेत्र के अन्तर्गत जिन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना है उनमें शामिल हैं: (i) भू-जल प्रबन्धन और विनियमन, और (ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान । इनके लिए 116.50 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

बाढ़ नियंत्रण : इस क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ पूर्वानुमान; सीमा क्षेत्रों में नदी प्रबंधन क्रियाकलाप; और पगलडीया डैम परियोजना के लिए 247.50 करोड़ रुपए का प्रावधान है । इस कार्यक्रम में बाढ़ सम्बन्धी आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रहण, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए गहन निगरानी तथा बाढ़ पुर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करना है।

परिवहन सेवाएं : इस क्षेत्र के लिए 82 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें फरक्का बांध परियोजना शामिल है जिसका उद्देश्य भागीरथी हुगली नदी सिस्टम के डिजाइन तथा नौवहनता में सुधार करके कलकत्ता पोर्ट को सुरक्षित एवं बनाए रखना है।

ऊर्जा

विद्युत : विद्युत मंत्रालय के लिए 50,121.42 करोड़ रुपए के आईईबीआर सहित 60,751.42 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। ये प्रावधान मुख्य रूप से राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम लि. (एनएचपीसी) (781 करोड़ रुपए), ऊर्जा संरक्षण (143.94 करोड़ रुपए), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (66.92 करोड़ रुपए) आरजीजीवीवाई (5,500 करोड़ रुपए) और ग्रामीण एपीआरडीपी (3,700 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय विद्युत निधि पर ब्याज सब्सिडी 227.64 करोड़ रुपए) के लिए है। 50,121.42 करोड़ रुपए का आईईबीआर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.-एनटीपीसी (22,350 करोड़ रुपए), एनएचपीसी (4,108.34 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम लि.-डीवीसी (8539.78 करोड़ रुपए), नीपको (841.30 करोड़ रुपए), सतलुज जल विद्युत निगम लि. -एसजेवीएनएल (525.17 करोड़ रुपए), टिहरी जल विकास निगम लि.-टीएचडीसी (856.83 करोड़ रुपए और भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लि.-पीजीसीआईएल (12,900 करोड़ रुपए) की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए है।

नाभिकीय ऊर्जा: नाभिकीय ऊर्जा के लिए कुल परिव्यय 4,739.00 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में 1,848.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और आं.ब.बा.सं. के 2,891.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस प्रावधान में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. के लिए इक्विटी में निवेश के लिए प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में रूसी परिसंघ की सहायता से कुडनकुलम में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 34.00 करोड़ रुपए शामिल है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परियोजनाएं विद्युत कार्यक्रम के लिए अनुसंधान व विकास सहायता प्रदान करने के लिए हैं।

पेट्रोलियम : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का योजना परिव्यय 69,494.79 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में 37 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 69,457.79 करोड़ रुपए आ.व.बा.स. के रूप में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जैश, रायबरेली के लिए 36 करोड़ रुपए, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन (जिसमें प्राकृतिक गैस का परिवहन शामिल है) के लिए 46,299.08 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के लिए 20,471.13 करोड़ रुपए, पेट्रोरसायन के लिए 2,635.58 करोड़ रुपये और 52 करोड़ रुपए की व्यवस्था इन्जीनियरिंग हेतु की गयी है। ओएनजीसी, गेल, एचपीसी, बीपीसीएल, एक आईओसी, ओआईएल आदि द्वारा किया गया निवेश परिव्यय के मुख्य घटक हैं।

कोयला और लिग्नाइट : भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारभूत ढांचा आधार के लिए ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कोयला मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 13,518.39 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसे आंशिक रूप से 400 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता में से और आंशिक रूप से 13,118.39 करोड़ रुपए के आं.ब.बा.सं. में से पूरा किया जाएगा।

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा : इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पारिस्थितिकी अनुकूल तथा अनवरत रूप से पूरा करने हेतु ऊर्जा से नवीन तथा नवीकरणीय संसाधनों को विकसित करना तथा उनका उपयोग करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक आयोजना में 1,950 करोड़ रुपए (जिसमें आं.ब.बा.सं. के रूप में 950 करोड़ रुपए शामिल हैं) का परिव्यय रखा गया है। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित वास्तविक लक्ष्य/क्रियाकलाप निर्धारित किए गए हैं।

(क) ***ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत*** - पवन, लघुपन, बायोमास विद्युत/सहसर्जन से वर्धित 2972 मेगावाट ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत, ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा से सम्बन्ध शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट, 142 मेगावाट ऑफ ग्रिड/वितरित नवीकरणीय विद्युत प्रणालियां।

(ख) ***ग्रामीण अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा:*** 1500 सुदूर गांवों/बस्तियों में एसपीवी/अन्य आरई प्रणालियों और युक्तियों के माध्यम से विद्युत/प्रकाश की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, जिसमें डीआरपीएस भी शामिल है; परिवार बायोगैस संयंत्र की क्षमता 0.30 मिलियन एम^2 (संख्या में 1.5 लाख)

(ग) ***शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा:*** 1.00 मिलियन एम^2 सौर वाटर हीटिंग सिस्टम का नियोजन; ऊर्जा-सक्षम भवनों को प्रोत्साहन (1 मिलियन वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र) और सौर शहरों का विकास;

(घ) ***नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास*** - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर आरडीएंड डी क्रियाकलाप; एमएनआरई केन्द्रों/संस्थानों (एसईसी, सी-वेट और एनआईआरई) को सहायता; मानक और परीक्षण; नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मूल्यांकन।

(ङ) ***सहायक कार्यक्रम*** - नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का सूचना, प्रचार तथा विस्तार; अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध; मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण सहित प्रशासन और मॉनीटरिंग; राज्यों को सहायता, सरकारी उद्यम और उद्योग सौर मिशन के तहत शुरू किए जाने वाले मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप सहित।

उद्योग और खनिज

लोहा एवं इस्पात उद्योग: इस्पात मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 17,199.82 करोड़ रुपए है जिसका वित्तपोषण 36 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 17,163.82 करोड़ रुपए के आईईबीआर द्वारा किया जाएगा। 12,254 करोड़ रुपए की राशि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) के लिए प्रदान की गई है। "सेल" के तहत योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रदान किए गए परिव्यय का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है : (i) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए 4,039 करोड़ रुपए जिसमें से 3,258 करोड़ रुपए संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए हैं। शेष परिव्यय चालू योजनाओं के लिए है जैसे 700 टीपीडी आक्सीजन संयंत्र, कोक ओवन बैटरी (सीओबी) सं. 6 का पुनर्निर्माण, खनन अधिकार/रेलवे ट्रैक-रोघाट और अन्य चालू एवं नई योजनाएं, (ii) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए 300 करोड़ रुपए जिसमें 180 करोड़ रुपए की राशि इसके विस्तार के लिए अंकित है। अन्य योजनाओं में ईआरपी का कार्यान्वयन, ब्लूम कास्टर, बीएफ 3 और 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन जैसी योजनाओं में संबंधित सुविधाओं सहित श्रीनगर और कांगड़ा स्थित इस्पात प्रसंस्करण यूनिट पर व्यय शामिल है, (iii) राऊरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 2,000 करोड़ रुपए (जिसमें 1,645 करोड़ रुपए) संयंत्र के विस्तार के लिए है।

योजनाओं पर अन्य व्यय सीओबी-4 के पुनर्निर्माण, 700 टीपीडी आक्सीजन संयंत्र, कोक ओवन गैस होल्डर की स्थापना, एसएमएस-II के बीओएफ कन्वर्टर्स की एक साथ ब्लोइंग आदि से संबंधित है। (iv) 1650 करोड़ रुपए बोकारो इस्पात संयत्र के लिए हैं जिसमें 930 करोड़ रुपए इसके विस्तार, सीओबी सं. 1 और 2 का पुनर्निर्माण, टर्बो-ब्लोअर स्टेशन में टीबी की संस्थापना, बी-एफ 2 तथा अन्य चल रही एवं नई योजनाओं के उन्नयन के लिए हैं; (v) इस्को इस्पात संयत्र के लिए 3,600 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है जिसमें इसके विस्तार के लिए (3,432 करोड़ रुपए), सीओबी-10 के पुनर्निर्माण के लिए (120 करोड़ रुपए) और शेष राशि अन्य चल रही और नई योजनाओं के लिए है; (vi) सम्मिश्र धातु इस्पात संयंत्र के लिए 30 करोड़ रुपए कई पूरी एवं चल रही परियोजनाओं के लिए है जिनकी लागत 20 करोड़ रुपए से कम है, (vii) सलेम इस्पात संयत्र के लिए 200 करोड़ रुपए जिसका बड़ा भाग (194 करोड़ रुपए) इसके विस्तार और अल्प मूल्य वाली विविध योजनाओं के लिए हैं; (viii) शेष 435 करोड़ रुपए का परिव्यय विश्वेस्वरैया लौह एवं इस्पात लि. (10 करोड़ रुपए), सेल की केन्द्रीय इकाईयों (70 करोड़ रुपए), कच्ची सामग्री प्रभाग (345 करोड़ रुपए) और महाराष्ट्र इलेक्ट्रोसमेल्ट लि. (10 करोड़ रुपए) को विभिन्न चालू एवं नई योजनाओं/परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्य के लिए दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त 4,049 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. के लिए आं.ब.बा.अ. के रूप में प्रदान की गई है जिसमें से 2,800 करोड़ रुपए इसकी उत्पादन क्षमता को 6.5 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए अंकित किए गए हैं। इस परिव्यय की शेष राशि एएमआर स्कीमों, कोक ओवन बैटरी सं. 4 (चरण-I और II), एयर सेपरेशन प्लाट, बीएफ-1 श्रेणी-मरम्मत, पल्वेरिज्ड कोल इंजेक्शन, लौह अयस्क खानों और कोकिंग कोल खानों, टीजी-5 का अधिग्रहण, पावर इवेक्युएशन सिस्टम, आदि के लिए है। पूरे परिव्यय की पूर्ति कम्पनी के आईईबीआर से की जाएगी; स्पंज आयरन इंडिया लि. के लिए कोई परिव्यय प्रस्तावित नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने एसआईआईएल के एनएमडीसी लि. में विलयन को अनुमोदन दे दिया है। आशा है कि विलयन की प्रक्रिया जल्द ही हो जाएगी। हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. के लिए 1 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान यह ध्यान रख कर किया गया है कि इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की पुनर्संरचना विचाराधीन है।

भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के लिए कोई परिव्यय प्रस्तावित नहीं है क्योंकि इसका विलय सेल में कर दिया गया है और सेल रिफ्रेक्ट्रीज यूनिट के रूप में पुनर्नामित किया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए 611 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है जिसकी पूर्ति कम्पनी के आईईबीआर से की जाएगी। यह राशि बेलाडिला डिपाजिट-11बी, कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना, छत्तीसगढ़ स्थित 3 मिलियन टन इस्पात संयंत्र, डोनीमलाई और बचेली में गुटिकाकरण संयंत्र एएमआर/टाउनशिप अनुसंधान एवं विकास योजनाओं, आदि के लिए हैं।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड के लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन है, जिसमें से 38 करोड़ रुपए एएमआर योजनाओं, डक्टाइल आयरन स्पन पाइप प्लांट जैसी योजनाओं, मंगलौर में रेल द्वारा कच्चे लोहे की प्राप्ति के लिए अवसंरचना विकास, अनुसंधान एवं विकास/संभाव्यता अध्ययन, बीएफ में कोल इंजेक्शन आदि के लिए है। इस परिव्यय की पूर्ति कम्पनी के आईईबीआर से की जा रही है; कंपनी के आं.ब.बा.सं. से 115.82 करोड़ रुपए की राशि मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड को फेरो मैगनीज/सिल्को मैगनीज प्लांट (40 करोड़ रुपए) सेल के साथ संयुक्त उद्यम में निवेश, आरआईएनएल के साथ संयुक्त उद्यम में बोबिल्ली स्थित फैरो मैगनीज संयंत्र (15 करोड़ रुपए), गुमगांव माइन में नए वर्टिकल शाफ्ट सिकिंग, एएमआर योजनाओं, टाऊनशिप, अनुसंधान एवं विकास/संभाव्यता अध्ययन, आदि जैसी योजनाओं के लिए है। बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज को वनरोपण और पट्टे संबंधी मामलों, खनिज एवं अयस्क आधारित उद्योंगों और एएमआर योजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपए के आं.ब.बा.सं. में से अलग रखे गए हैं। 2 करोड़ रुपए मेकॉन लि. को विभिन्न स्थानों पर कार्यालय स्थल/अतिथि गृह की मरम्मत और विस्तार के लिए जिसकी पूर्ति कम्पनी के आईईबीआर से की जाएगी; इसी तरह 5 करोड़ रुपए की राशि एमएसटीसी लि. को नई योजनाएं शुरू करने के लिए अलग से रखी गई है। 12 करोड़ रुपए की राशि फेरो स्क्रैप निगम लि. के लिए एएनआर योजनाओं के लिए है, जिसकी पूर्ति कम्पनी के आईईबीआर से की जाएगी; और लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने के लिए 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था ताकि पर्यावरण अनुकूल ढंग से उत्तम गुणवत्ता के इस्पात के लागत प्रभावी उत्पादन के लिए नूतन/दूरगामी और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए एक नई योजना/तंत्र तैयार किया जा सके।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः खान मंत्रालय का परिव्यय 1,763.17 करोड़ रुपए है, जिसमें 1,553.17 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन शामिल हैं। परिव्यय मुख्यतः निम्नलिखित के लिए हैः-

(क) एल्युमीनियम (नाल्को) - 1389 करोड़ रुपए का आईईबीआर;

(ख) तांबा (हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड) - 150.35 करोड़ रुपए का आईईबीआर;

(ग) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड - 15 करोड़ रुपए अनुदान घटक 7 करोड़ रुपये और आईईबीआर 8 करोड़ रुपए;

(घ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण - 162 करोड़ रुपए;

(ङ) भारतीय खान ब्यूरो - 28 करोड़ रुपए का आईईबीआर;

उर्वरक उद्योगः इस हेतु 2,914.99 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें से, 2,699.99 करोड़ रुपए की पूर्ति आंतरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों से की जाएगी और शेष 215 करोड़ रुपए की राशि बजटीय सहायता द्वारा प्रदान की जाएगी। यह परिव्यय फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (89.99 करोड़ रुपए), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स निगम लि. (45 करोड़ रुपए), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (74.50 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (900.50 करोड़ रुपए), प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (5.38 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (622.82 करोड़ रुपए), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (1,160 करोड़ रुपए) एफसीआई-अरावली जिप्सम मिनरल इंडिया लि. (एफएजीएमआईएल) (11.29 करोड़ रुपए) इत्यादि के लिए हैं।

रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगः रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के लिए परिव्यय 400.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 212.74 करोड़ रुपए डिब्रुगढ़ (असम) में लेपेटकाटा में पेट्रोकेमीकल गैस क्रेकर काम्पलैक्स की स्थापना के लिए है।

इंजीनियरी उद्योगः इस क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 2,504.49 करोड़ रुपए है, जिसमें से, 2,384.09 करोड़ रुपए भारी उद्योग विभाग, 68.40 करोड़ रुपए पोत परिवहन मंत्रालय और 52 करोड़ रुपए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए हैं।

भारी उद्योग विभाग : भारी उद्योग विभाग के लिए आयोजना परिव्यय 2,955 करोड़ रुपए है जिसमें 2,585 करोड़ रुपए के आ.ब.बा.सं. शामिल हैं। इस आवंटन में 37 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लिए, 232.14 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आटोमेटिव परीक्षण और अनुसंधान व विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) के लिए और 24 करोड़ रुपए पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए शामिल हैं। आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों सहित आयोजना परिव्यय 143.03 करोड़ रुपए सीमेन्ट और अधात्विक उद्योगों के लिए, 2,384.09 करोड़ रुपए इंजीनियरिंग उद्योगों और 390.88 करोड़ रुपए उपभोक्ता उद्योगों अर्थात हिंदुस्तान साल्ट्स लि., टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. और हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लि. के लिए हैं।

वार्षिक आयोजना में, मौटे तौर पर, रुग्ण पब्लिक सेक्टर उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन, आटो क्षेत्र में परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास परियोजना का क्रियान्वयन और कैपिटल गुडस स्कीमें एवं जहां आवश्यक हो, जोड़/परिवर्तन/प्रतिस्थापन शामिल हैं। रुग्ण/घाटे के पीएसई के पुनरुद्धार के प्रयास शुरू किए गए हैं। इस विभाग द्वारा बीआरपीएसई को भेजे गए सभी 27 पीएसई मामलों पर विचार किया गया है और इन अनुशंसाओं से होने वाली आवश्यकताओं के लिए पुनरुद्धार योजनाओं में पूंजी निवेश योजनाओं के लिए निधियां मांगी गई हैं।

परमाणु उर्जा उद्योग : औद्योगिक और खनिज (आई एंड एम) क्षेत्र के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग में परिव्यय 1,402.14 करोड़ रुपए है जिसमें 1,067.14 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 335 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आं. व ब. बाह्य संसाधनों के रुप में हैं। 335 करोड़ रुपए के आं. व बा. सं. में इंडियन रेयर अर्थ लि., इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि. और यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. जैसे विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। बजटीय सहायता में दसवीं योजना की चल रही स्कीमों और बारहवीं योजना की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, नाभिकीय ईंधन कम्पलेक्स, हैवी वाटर बोर्ड और रेडिएशन एवं आइसोटोप टेक्नोलोजी के बोर्ड की नई योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है। यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. में इक्विटी में निवेश के रूप में बजटीय सहायता की भी परिकल्पना की गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के लिए 2,550 करोड़ रुपए (आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 150 करोड़ रुपए सहित) का परिव्यय है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (906 करोड़ रुपए), खादी के लिए विपणन विकास सहायता सहित खादी अनुदान (290 करोड़ रुपए), ग्रामोद्योग अनुदान (55 करोड़ रुपए, प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (54.25 करोड़ रुपए), ऋण सहायता कार्यक्रम (222.70 करोड़ रुपए) और प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान और कार्यक्रम की गुणवत्ता 336 करोड़ रुपए) के लिए है।

वस्त्रोद्योग: 4,725 करोड़ रुपए का वस्त्रोद्योग मंत्रालय के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित परिव्यय मुख्यतः इनके लिए है; (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना-2,400 करोड़ रुपए (ii) एकीकृत टेक्सटाईल पार्क योजना-400 करोड़ रुपए और (iii) कपास प्रौद्योगिकी मिशन-141 करोड़ रूपए, (iv) हथकरघा उद्योगों के लिए 426 करोड़ रुपए (v) हस्तकला उद्योगों के लिए 286 करोड़ रुपये, (vi) रेशम कीटपालन के लिए 320 करोड़ रुपये (vii) बड़े समूहों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए (viii) एनआईएफटी आदि के लिए 245 करोड़ रुपये। इन स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 472.50 करोड़ रूपए अलग से रखे गए हैं।

परिवहन

रेलवे : रेलवे का वार्षिक आयोजना परिव्यय 41,426 करोड़ रुपए है। इस राशि में से, 16,751.75 करोड़ रुपए की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाती है, जिसमें रेलवे का अंशदान डीजल उपकर में से 876.73 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल है। प्रस्तावित लक्ष्य 3500 कि. मी. का ट्रैक नवीनीकरण, 1000 रूट किमी. का विद्युतीकरण, 800 किमी. का गेज परिवर्तन, 1000 किमी. की नई रेल लाइनें, 700 कि. मी. दोहरी लाइन बिछाना तथा अतिरिक्त 480 रेल इंजनों का विनिर्माण करके लक्ष्य प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग: सड़क नेटवर्क का विकास तथा उचित रख-रखाव आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अंतरक्षेत्रीय अंतरों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्र में निवेश पर बल देने के लिए बजटीय सहायता बढ़ाई गई है। निम्नलिखित सारणी वर्ष 2010-11 के लिए केंद्रीय सड़क निधि से व्यय का प्रावधान दर्शाती है :-

(करोड़ रुपए)

मद	
- राज्यों को अनुदान	1,819.17
- राज्यों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	195.75
- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	74.58
- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	14.67
- एनएचएआई में निवेश	7,848.98
- रेलवे	876.73
- ग्रामीण सड़कें	4,434.12
जोड़	**15,264.00**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 5,405.10 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान है और सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य के लिए 650 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक को छोड़कर) का प्रावधान है।

पोत परिवहन- भारतीय पोतपरिवहन, पत्तनों, अंतर्देशीय जल परिवहन और पोतनिर्माण उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए पोत परिवहन विभाग का आयोजना परिव्यय 6,494.15 करोड़ रुपए है (जिसमें आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 5,864.15 करोड़ रुपए शामिल हैं)। पत्तन क्षेत्र में इन परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है नामतः अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास के निर्माण कार्य; कोचीन पत्तन की नहरों का वृहद तलकर्षण-चरण-II; सेतु समुद्रम जहाज नहर परियोजना; एएलएचडब्ल्यू पोत परिवहन क्षेत्र में इन परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है नामतः इंडियन मैरीटाइम उद्योगों का विकास, डीजी(एलएल); पोत निर्माण और मरम्मत। राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 115 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 63 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है।

नागर विमाननः नागर विमानन मंत्रालय के लिए 9,588.30 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें 2,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय पुनर्संरचना प्रक्रिया के भाग के रूप में 1,200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 600.50 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास हेतु 120.50 करोड़ रुपए तथा 480 करोड़ रुपए की शेष राशि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे लेह, अजमेर, अगाति, पोर्ट ब्लेयर, तिरुपति, पडुचेरी आदि में हवाई अड्डों के विकास और गगन परियोजना के लिए है। 86 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता नागर विमानन महानिदेशालय के लिए दी गई है जिससे वे अपनी आयोजना स्कीमों को कार्यान्वित कर सकेंगे। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को उसकी आयोजना स्कीमें पूरी करने के लिए 44.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/दिल्ली में रोहिणी स्थित हेलीपोर्ट और पूर्ण में हेलीकाप्टर प्रशिक्षण संस्थान/हेलीपोर्ट के लिए पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और एयरो क्लब आफ इंडिया को क्रमशः 5.60 करोड़ रुपये और 14.40 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता मुहैया करायी गई है।

ग्रामीण सड़कें (सड़कें और पुल): इस क्षेत्र के लिए की गयी कुल 12,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता में से 1,114 करोड़ रुपए का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए रखा गया है।

ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए प्रावधान रखा गया है। 25 दिसम्बर, 2000 को आरम्भ की गई यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 500 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी हुई बस्तियों को जोड़ना है। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड) और मरूस्थल क्षेत्रों के संबंध में 250 अथवा अधिक व्यक्तियों की आबादी वाली बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है। न्यून प्राथमिकता के तौर पर आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में मौजूदा ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। आशा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1.67 लाख बस्तियों को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3,65,279 कि.मी. सड़कों का निर्माण नई कनेक्टविटी हेतु तथा 3,68,000 कि.मी. नई सड़कों का उन्नयन किया जाएगा जिसकी अनुमानित लागत 2004-05 की कीमतों पर 1,32,000 करोड़ रुपए होगी।

ग्रामीण सड़कों को भारत निर्माण के छह घटकों में से एक घटक के रूप में चिन्हित किया गया है जिसका लक्ष्य सभी मौसम में चलने वाली सड़कों द्वारा 1000 जनसंख्या वाले सभी गांवों (पहाड़ी अथवा आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 500) को जोड़ता है। भारत निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2012 तक 1,46,185 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। यह देश में 54,648 सड़कों से नहीं जुड़े हुए योग्य आवास क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा। पूरे कृषि क्षेत्र को बाजार से जोड़ना सुनिश्चित करने के

लिए मौजूदा 1,94,130 कि.मी. मौजूदा एसोसिएटेड थ्रु मार्गों के उन्नयन का प्रस्ताव भी किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों को सहायता मुहैया कराने के लिए क्रमशः एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता से विभिन्न राज्यों में दो विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं नामतः ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना I एवं II और ग्रामीण सड़क परियोजना I एवं II क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, 2010-11 हेतु आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में नाबार्ड ने आरआईडीएफ विंडो के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ऋण के रूप में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

संचार

डाक सेवाएं: 660 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय प्रावधान 66 करोड़ रुपए है। इसमें भारतीय डाक का प्रौद्योगिकी समावेशन और उद्यमिता प्रबंधन के जरिए समग्र विकास और प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया है। विभिन्न एजेंसियों/संगठनों के साथ संपर्कों के माध्यम से और पूरे देश में ई-अभिशासन पहले देते हुए नेटवर्क का प्रभावी ढंग से उपयोग और विभिन्न अभिकरणों/संगठनों के साथ संयोजन के जरिए मूल्य वर्द्धित सेवाएं, पहुंचाने का लक्ष्य है। योजना की स्कीमें और मांगें उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित हैं। आयोजना का मुख्य जोर सूचना प्रौद्योगिकी समावेशन संबंधी स्कीमों - डाक संचालन (475 करोड़ रुपए), मेल संचालन (125 करोड़ रुपए), संपदा प्रबंधन (20 करोड़ रुपये), विपणन, अनुसंधान और उत्पाद विकास (10 करोड़ रुपए), और मानव संसाधन प्रबंधन (10 करोड़ रुपए) के लिए है। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में बैंकिंग और मनीट्रांसफर आपरेशन (6 करोड़ रुपए) बीमा कार्य (5 करोड़ रुपए), डाक टिकट संचालन (8 करोड़ रुपये), सामग्री प्रबंधन (0.25 करोड़ रुपये), गुणवत्ता प्रबंधन (0.25 करोड़ रुपये), और पोस्टल नेटवर्क पहुंच (0.50 करोड़ रुपए) शामिल हैं। महिलोन्मुख पहलों के कार्यान्वयन के लिए भी परिव्यय में से 2 करोड़ रुपये की राशि अलग से रखी गई है।

दूरसंचार सेवाएं तथा अन्य संचार सेवाएं: दूर संचार विभाग के लिए परिव्यय 18,135.10 करोड़ रुपए है जिसमें 2,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल हैं। सी-डॉट (269 करोड़ रुपए) बेतार आयोजना समन्वयन (0.50 करोड़ रुपए), बेतार मानीटरिंग सेवाएं (42.36 करोड़ रुपए), दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र (8 करोड़ रुपए), भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (11 करोड़ रुपए), टीडीएसएटी (1.30 करोड़ रुपए), आईटीआई (1 करोड़ रुपए), रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क (1,500 करोड़ रुपए), दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र की स्थापना (2 करोड़ रुपए), मुख्य भू भाग और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्रगत केबलिंग (161.84 करोड़ रुपए) प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन (3 करोड़ रुपए) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय के आईईबीआर के रूप में 16,135.10 करोड़ रुपए (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1,204.10 करोड़ रुपए, भारत संचार निगम लिमिटेड 14,891 करोड़ रुपए और सी-डॉट 40 करोड़ रुपए) का प्रावधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) देश में इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने, क्रियान्वयन करने एवं समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। डीआईटी के लिए आयोजना परिव्यय 3,066.61 करोड़ रुपए (जिसमें आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 406.61 करोड़ रुपए शामिल है)। इस आयोजना का फोकस निम्नलिखित योजनाओं के सम्बन्ध में है (i) ढांचागत विकास (1,179 करोड़ रुपए) जिसमें ई-गवर्नेंस (1,030 करोड़ रुपए) शामिल है, (ii) अनुसंधान और विकास कार्यक्रम (522 करोड़ रुपए), जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रानिक (100 करोड़ रुपये) और सी-डैक (180 करोड़ रुपए) शामिल है, (iii) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (100 करोड़ रुपए), (iv) मानव संसाधन विकास (124 करोड़ रुपए), (v) एनआईसी (700 करोड़ रुपए), (vi) डीआईटी मुख्यालय (35 करोड़ रुपए)। विभाग के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं - (i) आम आदमी तक सभी सरकारी सेवाओं की पहुंच के लिए ई-गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस आयोजना (एनईजीपी) में 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट और 8 सहायता संघटक शामिल हैं जिन्हें केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारी स्तरों पर कार्यान्वित किया जाएगा; (ii) देश भर में ज्ञान संबंधी संस्थाओं को जोड़ने हेतु बहुल गिगाबीट बैंडविथ युक्त राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना; (iii) इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग कार्यक्रम; (iv) राष्ट्रीय साइबर स्पेश और इसकी परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए साइबर सुरक्षा रणनीति में बहु-आयामी कार्रवाई शामिल है; (v) उभरती ज्ञान अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूर्ति हेतु चुनिंदा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (नैनो टेक्नोलॉजी, विद्युत तथा संचार, कम्प्यूटर विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, विनिर्माण, मेकाट्रोनिक्स)।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: अनुसंधान और विकास क्षेत्र के लिए 2084.86 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, परिवर्ती ऊर्जा, साइक्लोट्रोन केन्द्र, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केन्द्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, भौतिकी संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, शिक्षा एवं अनुसंधान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, गणित विज्ञान संस्थान, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी में निरन्तर अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों का विकास तथा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम और नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड आदि जैसे इसके अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा की दसवीं योजना की जारी स्कीमों को और XI वीं योजना की नई स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड जैसी दूसरी संस्थाओं के लिए निधिपोषण है। अंतर्राष्ट्रीय थरमोन्युक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, ज्यूल्स होरोबिट्ज रिएक्टर एंड डीएई-यूआईसीटी सेंटर फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में भारतीय भागीदारी के लिए व्यय की व्यवस्था है। परिव्यय में परमाणु अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा यूरेनियम के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण अन्वेषण जैसी अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं।

अंतरिक्ष अनुसंधान: अंतरिक्ष विभाग के लिए वार्षिक आयोजना परिव्यय 5,000 करोड़ रूपए है, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैं:-

(i) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिये, 3,103.55 करोड़ रुपए जिसमें यह शामिल है (क) प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए 1,854.51 करोड़ रुपए, जीएसएलवी एमके-III विकास के लिए 152.96 करोड़ रुपए, क्रायोजेनिक अपर स्टेज (सीयूएस) परियोजना के लिए 0.10 करोड़ रुपए, पोलर सैटेलाइट प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-सी) जारी रखने की परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वीएसएससी) के लिए 383.12 करोड़ रुपए, इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट (आईआईएसयू) के लिए 28.78 करोड़ रुपए, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) के लिए 244.62 करोड़ रुपए, जीएसएलवी प्रचालनात्मक परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए तथा अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग के लिए 4.93 करोड़ रुपए, मानव संचालित मिशन पहलों/मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए 150 करोड़ रुपए, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 140 करोड़ रुपए, सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास के लिए 250 करोड़ रुपए; (ख) उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए 881.85 करोड़ रुपए, जिसमें ओशनसेट-2 और 3 के लिए 1.60 करोड़ रुपए शामिल है, रिसोर्स सैट-2 और 3 के लिए 22 करोड़ रुपए, इसरो उपग्रह केन्द्र (आईएसएसी) के लिए 327.12 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रोऑप्टिक सिस्टम की प्रयोगशाला के लिए 40.14 करोड़ रुपए, राडार इमेजिंग सैटेलाइट-1 (रिसाट-1) के लिए 3.50 करोड़ रुपए, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के लिए 262.10 करोड़ रुपए, सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला के लिए 24.89 करोड़ रुपए, विकसित संचार उपग्रह जी सेट-II प्रेक्षेपण सेवा सहित के लिए 125 करोड़ रुपए सरल के लिए 40 करोड़ रुपये और अर्थ अवजर्वेशन-नई मिशन के लिए 35.50 करोड़ रुपए और (ग) प्रक्षेपण सहायता, ट्रैकिंग नेटवर्क और रैंज सुविधाओं के लिए 367.19 करोड़ रुपए जिसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (एसडीएससी-एसएचएआर) के लिए 316.40 करोड़ रुपए, इसरो टेलीमेटरी ट्रैकिंग और कमाण्ड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) के लिए 50.79 करोड़ रुपए शामिल है।

(ii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 575.04 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एसएसी) के लिए 196.97 करोड़ रुपए,

विकासात्मक और शैक्षिक संचार यूनिट (डीईसीयू) के लिए 75.17 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सिस्टम (एनएनआरएमएस) के लिए 87.62 करोड़ रुपए, अर्थ अबजर्वेशन एप्लीकेशन मिशन (ईओएएम) के लिए 2.31 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र (एनआरएससी) के लिए 168.10 करोड़ रुपए, आपदा प्रबंधन सिस्टम के लिए 38.62 करोड़ रुपए और पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एनई-एसएसी) के लिए 6.25 करोड़ रुपए शामिल है।

(iii) अंतरिक्ष विज्ञान के लिये 330.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.) के लिये 45.70 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) के लिए 12 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण अध्ययन संस्थान (एनआईसीईएस) के लिए अकादमी संस्थाओं में प्रायोजित अनुसंधान (रेस्पोंड) परियोजनाओं में 15 करोड़ रुपए, सेंसर पेलोड विकास/ उपग्रहीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए 16 करोड़ रुपए, मेगा ट्रोपिक परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए, आदित्य परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपए, एस्ट्रोसैट 1 और 2 परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए, इंडियन लूनर मिशन चन्द्रयान-1 और 2 के लिए 100 करोड़ रुपए, इसरो ज्योस्फेर-बायोस्फेर कार्यक्रम के लिए 28.96 करोड़ रुपए, वायुमण्डलीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए 28.45 करोड़ रुपए वायुमंडलीय अध्ययन और खगोल विज्ञान हेतु छोटे उपग्रह के लिए 10 करोड़ रुपए और अन्तरिक्ष विज्ञान संवर्धन, बैलून सुविधा, बहु संस्थागत अनुसंधान कार्यक्रमों, अंतरिक्ष केन्द्र प्रयोग माइक्रो गुरुत्वकर्षण अनुसंधान के लिए 13.70 करोड़ रुपए आदि शामिल हैं।

(iv) निदेशन और प्रशासन/अन्य कार्यक्रम के लिए 309.53 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें स्पेशियल इंडीजेनाइजेशन/एडवांस ऑर्डरिंग के लिए 231.79 करोड़ रुपए और इसरो मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केन्द्र प्रबंधन जैसे अन्यों के लिए 77.74 करोड़ रुपए शामिल है।

(v) इंसेट कार्यात्मकता के लिए 681.07 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें मास्टर कंट्रोल सुविधा (एमसीएफ) के लिए 29.17 करोड़ रुपए का प्रावधान, इनसैट 3 सैटेलाइट परियोजना के लिए 77.60 करोड़ रुपए जिसमें प्रक्षेपण सेवाएं शामिल हैं, और प्रक्षेपण सेवाओं सहित इनसैट-4 उपग्रह परियोजना के लिए 574.30 करोड़ रुपए शामिल है।

समुद्र विज्ञान अनुसंधान और मौसम विज्ञान: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए 1,000 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें 597.55 करोड़ रुपए समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए, 402.45 करोड़ रुपए वायुमंडल विज्ञान और सेवाएं जिनमें राष्ट्रमंडल खेल 2010 की तैयारियां शामिल हैं, के लिए है। समुद्र विज्ञान अनुसंधान के अन्तर्गत (i) 145 करोड़ रुपए ध्रुव विज्ञान के अन्तर्गत रखे गए हैं जिसमें अन्टार्टिका में भारतीय प्रयासों को जारी रखने, तीसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र की स्थापना पर व्यय करने हेतु और 15 करोड़ रुपए देश में अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना हेतु राष्ट्रीय अन्टार्टिका एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र के अन्तर्गत मुहैया कराए गए हैं; 15 करोड़ रुपए तटीय अनुसंधान पोतों के लिए व्यवस्था है; (ii) 15 करोड़ रुपए की राशि की पोलिमेटैलिक नोडयूल्स के लिए अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए व्यवस्था की गयी है; (iii) 23 करोड़ रुपए की राशि महासागर पर्यवेक्षण और सूचना प्रणाली कार्यक्रम के लिए उपलब्ध होगी और 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के लिए है; (iv) 15 करोड़ रुपए महासागर डाटा बाय कार्यक्रम के लिए मुहैया कराए गए हैं; (v) राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान को उसकी गतिविधियों के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तथा 5 करोड़ रुपये अलवणीकरण परियोजना के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, (vi) 78.50 करोड़ रुपए समुद्री जीवित संसाधन, जैविक समुद्र से औषधि, समुद्री निर्जीव संसाधन, कोमाप्स, जनशक्ति प्रशिक्षण, प्रदर्शनियां, समुद्री अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अधीन सेमिनार और संगोष्ठी के लिए सहायता जैसी विभाग की अन्य चल रही गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं; (vii) 6 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए क्रमशः सम्पूर्ण भारतीय ईईजेड का व्यापक स्वैथ बाथमेट्रिक (धरातलीय) सर्वेक्षण, गैस हाइड्रेट कार्यक्रम के लिए रखे गए हैं। (viii) हिन्द महासागर में सूनामी और तूफान आने की चेतावनी देने की प्रणाली की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है; (ix) 5 करोड़ रुपए समुद्र के अंदर लगाई जाने वाली मानव चलित मशीनों के विकास के लिए है; (x) 0.50 करोड़ रुपए मल्टी चैनल भूकंपीय प्रणाली की स्थापना के लिए उपलब्ध कराए गए हैं; (xi) 3 करोड़ रुपए एक आर्कटिक अभियान के लिए रखे गए हैं; (xii) 1 करोड़ रुपए राष्ट्रीय समुद्री शाला के लिए रखे गए हैं; (xiii) 5 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से तटीय सुरक्षा उपायों के प्रदर्शन के लिए किया गया है; (xiv) 6 करोड़ रुपए राशि की एकीकृत महासागर ड्रिलिंग कार्यक्रम (आईओडीपी) के लिए व्यवस्था है; (xv) बर्फ श्रेणी अनुसंधान पोत के लिए 25 करोड़ रुपए का किया गया है और 25 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यालय भवन के लिए किया गया है; (xvi) 7 करोड़ रुपये सूचना प्रौद्योगिकी के लिए हैं; (xvii) महादीपीय किनारे की बाहरी सीमा की रूपरेखा तैयार करने के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (xviii) अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान में, नेशनल सेंटर फॉर मिडियम रेंज वेदर फोरकास्ट (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) के लिए 25 करोड़ रुपये और भारतीय उष्णकटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान के लिए 56.45 करोड़ रुपये, (xix) 165 करोड़ रुपए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आधुनिकीकरण के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए (xx) 156 करोड़ रुपए अन्य चल रहे क्रियाकलापों जैसे अंतरिक्ष मौसम विज्ञान, कृषि परामर्शी सेवाएं, प्रचालन और रखरखाव, विमानन मौसम विज्ञान तथा राष्ट्रमंडल खेल के लिए है।

अन्य कार्यकलापों जैसे बहु आपदा आध चेतावनी सहायता प्रणाली (5 करोड़ रुपये), जलवायु परिवर्तन केंद्र (45 करोड़ रुपये), पृथ्वी तथा वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान और विकास (45 करोड़ रुपये), भूकंपीय नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, भूकंप और भूचाल के अध्ययन (30 करोड़ रुपये) के लिए भी है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की आयोजना स्कीमों हेतु परिव्यय 2,025 करोड़ रूपए है जो कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अग्र और उभरने वाले क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए है। ये क्षेत्र भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरी, पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान, इंस्ट्रूमेंटेशन विकास, औषधि और भेषज विज्ञान संबंधी अनुसंधान से संबद्ध हैं और इसमें नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशन, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, उच्च शिक्षा में विज्ञान के लिए छात्रवृत्तियां पर्यवेक्षण समिति की सिफारिश के अुनसार भी शामिल हैं।

उद्यमकारिता सहित सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर उचित बल दिया जा रहा है। नए और अन्तरविषयक क्षेत्रों में, कई अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सहायता दी जाती है, जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों की प्रतिक्रिया स्वरूप जल संबंधी एक बहु घटक कार्यक्रम जल प्रौद्योगिकी पहल शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ताकि पानी की कमी की समस्या का समाधान किया जा सके। यह अन्य मर्मज्ञ भागीदारों के साथ की गई एक सहयोग पहल है जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में झेली जा रही घरेलू जल की समस्या का पता लगाने और वैज्ञानिक आधार का अध्ययन किया जाएगा और इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर स्वीकार्य उपयुक्त प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों को प्रयुक्त किया जाएगा, अनुप्राणित अनुसंधान के लिए विज्ञान में नवाचार (इंस्पायर), इनोवेशन क्लस्टर्स, सुरक्षा प्रौद्योगिकी पहल, बुनियादी अनुसंधान और सौर ऊर्जा पहल (सेरी) तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय पहल शामिल है।

लिंग आधारित विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा इनमें से महिलाओं के लिए उपयुक्त आवंटन निर्धारित किया गया है।

अन्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान: विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के लिए 1,600 करोड़ रुपए का परिव्यय है। यह विभाग के प्रौद्योगिकी संवर्धन, विकास एवं उपयोग कार्यक्रमों तथा सीएसआईआर और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम और परामर्श विकास केंद्र को इसकी सहायता के लिए है। यह परिव्यय सीएसआईआर को सहायता अनुदान देने के लिए भी है, जिसका उद्देश्य अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर बल देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करके उनके परिणामों का आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों को अधिकाधिक बढ़ाना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनकी सहायता की जाएगी उनमें विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उपयुक्त क्षेत्रीय विमान की डिजाइन तैयार करना और विकास करना, लक्षित जनसंख्या के लिए कम लागत वाली, सुरक्षित, स्वास्थकर, पोषक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के लिए उत्तम खाद्य प्रसंस्करण प्रौदद्योगिकी प्रयुक्त करना; परजीवी बीमारियों के लिए नया औषधि विकास कार्यक्रम, नए निदानों के लिए इंजीनियरी पेप्टाइड्स और प्रोटीन, स्वास्थ्य और रोग निदान में नैनो सामग्री और नैनो उपस्कर प्रयुक्त करना, एक एकीकृत जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा जीनोटाईप का पता लगाना - जटिल मानव विकृतियों के लिए

फेनोटाइप को-रिलेशन, मुक्त स्रोत औषध अन्वेषण (ओएसडीडी) कार्यक्रम, पर्यावरण अनुकूल परिवर्तन के लिए जानकारी और प्रौद्योगिकी का विकास करना, बायोमास को ईंधन, स्नेहक, योगज की तरह प्रयुक्त करना, हाइड्रोजन आर्थिक पहल - जनता के समक्ष बड़ी चुनौतियों का सामना करना, ईंधन सेल प्रयुक्त करके हाइड्रोजन का भंडारण और परिवर्तन, उच्च क्षमता की फ्रिक्वेंसी वाले सूक्ष्म तरंगी पंपों के लिए डिजाइन और संरचना, एलईडी उपकरणों की संरचना और ठोस प्रकाशीय उपकरणों के लिए प्रणाली, इंजीनियरी अनुप्रयोग के लिए उन्नत हल्की धात्विक सामग्री विकसित करना, मौसम विज्ञान का उन्नयन, भारत के आसपास मौजूद पानी के लिए अनुमान प्रणाली के विकास के लिए विज्ञान आदि शामिल हैं।

यह कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी लाभ के आधार पर वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए नई सहस्त्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) संबंधी स्कीम के लिए भी सहायता मुहैया करेगा। इसके अतिरिक्त, एसएण्डटी मानव संसाधन विकास, बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, अनुसंधान और विकास प्रबंधन सहायता तथा ट्रांसलेशनल अनुसंधान संस्थान (नवाचार काम्पलेक्सेस के रूप में पुनर्नामित) के लिए सहायता मुहैया की जाएगी।

जैव प्रौद्योगिकीः जैव प्रौद्योगिकी विभाग हेतु 1,200 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । योजनाएं स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, पशु विज्ञान, जलचर पालन, पर्यावरण और जैव संसाधनों के क्षेत्र में मूल अनुसंधान में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई हैं। विद्यमान जैव विज्ञान सुविधाओं और उत्कृष्ट केन्दों को सहायता जारी रखने के अतिरिक्त, अनुसंधान के समकालीन और अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजनाओं के अधीन अधिक सहायता की जाएगी। सूक्ष्म जैविक संभाव्यताओं पर वैक्सीन विकास में जारी वृहत चुनौती कार्यक्रमों के अतिरिक्त, डिजायनर फसल विकास, पोषाहार संबंधी प्रौद्योगिकियों और चिकित्सा उपकरणों पर नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कृषि फसलों की आणविक उपज के लिए राष्ट्रीय मंच तथा निदान उपकरणों के जैव डिजाइन पर अन्य ग्यारहवीं योजना की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। विदेशों से वैज्ञानिकों के भारत लौटने के लिए अनुसंधान और विकास आधारित पुनः प्रवेश अनुदान योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। अन्य कार्यक्रमों जैसे विश्वविद्यालयों में जीव विज्ञान विभागों की पुनः माडलिंग, विद्यमान फैलोशिप का विस्तार और नए नवान्वेषण आधारित फैलोशिप स्टार अंडरग्रेजुएट महाविद्यालयों को सहायता और प्रौद्योगिकी प्रबंधन को सहायता दी जाएगी। लघु और मझौले उद्यमों द्वारा अनुसंधान और विकास को सहायता देने वाले लघु व्यवसाय नवोन्वेषण अनुसंधान अभिक्रम का विस्तार किया जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी) का एक नया सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सरकारी निजी भागीदारियों को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता अनुसंधान परिषद की स्थापना की जाएगी। "ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान" के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए अंतरिम सुविधाओं की स्थापना के कार्यकलाप और नए संस्थानों के स्थान पर निर्माण कार्य, स्टेम सेल जीवविज्ञान, यूनेस्को क्षेत्रीय केन्द्र, कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रक्रियाधीन अन्य संस्थाओं की गतिविधियां आरम्भ करने के प्रयास किए जाएंगे।

भेषज : भेषज विभाग के लिए 165 करोड़ रुपए का परिव्यय है, जिसमें एनआईपीईआर, मोहाली के लिए और कोलकाता, अहमदाबाद, रायबरेली, हैदराबाद, हाजीपुर और गुवाहाटी में एनआईपीईआर जैसे संस्थानों की स्थापना के लिए है।

पर्यटनः पर्यटन मंत्रालय का परिव्यय 1,050 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम के लिए 105 करोड़ रुपए शामिल है। योजनाओं के लिए कुल परिव्यय गंतव्य स्थलों तथा सर्किटों के उत्पाद/अवसंरचना विकास, हेतु राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता, आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार, बाजार विकास सहायता सहित समुद्रपारीय संवर्धन और प्रचार, आईएचएम/एफसीआई को सहायता, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण, आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन, अंजता एलोरा में बौद्ध केंद्रों/ स्थलों और उत्तर प्रदेश में बौद्ध केन्द्रों के विकास हेतु विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं, भारत सरकार-यू.एन.डी.पी. संयुक्त पर्यटन परियोजनाएं, 20 वर्ष की परिदृश्य योजना सहित बाजार अनुसंधान, गुलमर्ग में आईआईएसएम के लिए भवन निर्माण, कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेन्सियों को सहायता तथा होटलों के लिए भूमि बैंक की स्थापना की स्कीमों के लिए है।

विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धनः वाणिज्य विभाग लिए 1,680 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें निर्यात संबद्ध अवसंरचना के विकास शामिल है (662.98 करोड़ रुपए, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु, 39 करोड़ रुपए शामिल हैं)। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण हेतु (150 करोड़ रुपए); कृषि निर्यात के विकास और संवर्धन, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (90 करोड़ रुपए), समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास और समुद्री उत्पादों के निर्यात, ऋण गारंटी निगम में निवेश, राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (150 करोड़ रुपए) ताकि परियोजनाओं और अन्य उच्च मूल्यों के निर्यात हेतु ऋण जोखिम कवच की उपलब्धता सुनिश्चित हो, निरंतर आधार पर भारत के निर्यात के संवर्धन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए बाजार पहुंच पहल कार्यक्रम (125 करोड़ रुपए) का प्रावधान शामिल है।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएंः दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां जनता द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के मद्देनजर, दूरस्थ/बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक शाखा खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सहायता के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विदेश मंत्रालयः विदेश मंत्रालय के लिए परिव्यय 700 करोड़ रुपए है। यह प्रावधान मुख्यतः पड़ोसी तथा अन्य विकासशील देशों को भारत के बहुपक्षीय तथा द्विवपक्षीय सहायता कार्यक्रम की दिशा में अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया है। ये विशाल परियोजनाएं भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान में स्थित हैं। भारत में अन्य अकादमिक विधाओं की तरह बौद्ध धर्म और संस्कृति में अनुसंधान हेतु उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में नालन्दा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

सामाजिक सेवाएं

सामान्य शिक्षाः सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए 42,036 करोड़ रुपए (विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 31,036 करोड़ रुपए और उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 11,000 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रारम्भिक शिक्षा कोष में जमा किए जाने वाले शिक्षा उपकर से प्राप्तियों के रूप में 14,433 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियां शामिल हैं। प्रारम्भिक शिक्षा कोष के अंतर्गत निधियां सर्वशिक्षा अभियान और मध्याहन भोजन योजना के लिए उपयोग में लाई जाएंगी।

सर्वशिक्षा अभियान : सर्वशिक्षा अभियान केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यान्वित किया जा रहा है जिसे सभी को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच, समानता, स्कूल में बने रहने और गुणवत्ता, की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े खण्डों में लिंग समानता को प्रोत्साहन देने के लिए सर्वशिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया है। 15,000 करोड़ रुपए का परिव्यय सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 1,397.90 करोड़ रुपए शामिल हैं

मध्यान्ह भोजन योजनाः प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध राष्ट्रीय पोषाहार समर्थन कार्यक्रम, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह भोजन योजना के रूप में जाना जाता है, प्राथमिक और प्राथमिक उच्च स्तर के बच्चों के लिए विश्व के सबसे बड़े भोजन कार्यक्रम के रूप में उभरा है। प्राथमिक स्तर पर प्राप्त सफलता को देखते हुए इस योजना का विस्तार 1 अक्तूबर, 2007 से 3,479 शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में उच्च प्राथमिक स्तर पर किया गया है। वर्ष 2008-09 से इस कार्यक्रम में देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्रारम्भिक स्तर के बच्चों (कक्षा I से VIII तक) को शामिल किया जाता है। तदनुसार, मध्याह्न भोजन के लिए परिव्यय बढ़ाकर 9,440 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए 944 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है

माध्यमिक शिक्षाः माध्यमिक शिक्षा के लिए 4,675 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 467.56 करोड़ रुपए भी शामिल है। इस आबंटन में अन्य के साथ-साथ नवोदय विद्यालय समिति के लिए 1,385 करोड़ रुपए (138.50 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए 350 करोड़ रुपए (35 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन शामिल है। सर्वशिक्षा अभियान की सफलता और माध्यमिक शिक्षा के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उच्चतर प्राथमिक स्तर को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए 1,700 करोड़ रुपए के प्रावधान (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 172.46 करोड़ रुपए शामिल हैं) से एक प्रमुख नीतिगत कार्यक्रम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना मंजूर की गई है। 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की स्कीमों के लिए 425 करोड़ रुपए का प्रावधान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 42.50 करोड़ रुपए सहित) किया गया है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए सहित) उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत कक्षा IX से XII में छात्रों के लिए 1,00,000 छात्रवृत्तियां संवतिरित करने हेतु 90.50 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

प्रौढ़ शिक्षा - प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1,300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 130 करोड़ रुपए शामिल है। इस आवंटन में अन्य के साथ-साथ सक्षर भारत के लिए प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए 1,167 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 116.90 करोड़ रुपए सहित) शामिल है।

उच्चतर शिक्षा - उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन विभिन्न उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 4,390 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र का 505 करोड़ रुपए सहित) का आबंटन प्रदान किया गया है जिसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन शामिल है। "आईसीटी के माध्यम से शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन" के लिए 900 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी रहा है, के लिए 100 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है। इस अनुदान में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए 50 करोड़ रुपए और स्वयं इग्नू की विभिन्न अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपए शामिल हैं।

तकनीकी शिक्षाः 4,706 करोड़ रुपए का प्रावधान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 439.97 करोड़ रुपए सहित) है और इसमें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम आदि के लिए है (पर्यवेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु सहायतार्थ प्रावधान शामिल है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के लिए 215 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो पूणे, कोलकाता और मोहाली मे तीन आईआईएसईआर तथा तिरुवनन्तपुरम (केरल) एवं भोपाल (मध्य प्रदेश) स्थित दो नए कार्यरत संस्थानों के लिए है)। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में चालू विभिन्न योजनाओं के लिए प्रावधानों के अतिरिक्त, नए आईआईटी के लिए 400 करोड़ रुपए, अब तक छूट गए राज्यों में पालीटेक्नीकों की स्थापना और विद्यमान पालीटेक्नीकों के उन्नयन के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, नए आईआईएम की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए, नए आईआईटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए और नए एनआईटी की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

खेलकूद और युवा सेवाएंः युवा कार्य और खेल मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय 2,844 करोड़ रुपए है। युवा कार्य के क्षेत्र में प्रावधान मुख्यतया राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केन्द्र संगठन राष्ट्रीय युवा कोर और युवा और किशोरों के विकास के लिए है। खेलकूद की तरफ, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन हेतु खेल अवसंरचना के सृजनार्थ और उन्नयन/तैयारी के लिए आवंटन रखे गए हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता, शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कीम और पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान आदि हेतु प्रावधान रखा गया है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 139 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

कला और संस्कृतिः संस्कृति मंत्रालय के लिए 735 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। (इसमें बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए 8 करोड़ रुपए शामिल है)। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एसियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नृत्य, नाटक तथा थिएटर समूह को सहायता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, विज्ञान नगरों, नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन तथा अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों आदि के लिए प्रावधान रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय के संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की भवन परियोजनाओं के लिए 43 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्यः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का योजना परिव्यय 21,000 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में योजनाओं/परियोजनाओं के लाभ के लिए 2,100 करोड़ रुपए शामिल हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) स्कीम का उद्देश्य 6 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों की स्थापना और 13 मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेज संस्थानों के उन्नयन की परिकल्पना है। 6 एम्स जैसे संस्थानों के लिए सलाहकार/विकासक की भर्ती को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया कर रहा है। जबकि उन्नयन की प्रक्रिया के चालू वर्ष में पूरी होने की संभावना है और एम्स जैसी 6 संस्थानों के 2010-11 तक चालू हो जाने की उम्मीद है। स्कीम के लिए 1,750 करोड़ रुपए का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

तम्बाकू देश में अग्रणी रोकथाम योग्य मृत्यु का एक कारण है। नये राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य चरण प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां तम्बाकू रोधी कानून 2003 के प्रभावी प्रवर्तन के लिए संस्थागत प्रक्रम हेतु एक प्रस्ताव रखने की परिकल्पना है। इस कार्यक्रम में सामुदायिक स्तर पर विशेष कर युवाओं और बच्चों में जागरुकता पैदा करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य परिहार्य श्रवण श्रय को रोकना और आरंभ में ही इसकी पहचान, नैदानिक और श्रवण श्रय और बधिरता के लिए जिम्मेदार कान संबंधी समस्याओं का उपचार है। कार्यक्रम का संकेन्द्रण कान संबंधी देखभाल सेवाओं के लिए जनशक्ति का प्रशिक्षण, उपकरण की सहायता और अन्य संसाधनों द्वारा संस्थागत क्षमता का विकास करना है। बधिरता से ग्रस्त व्यक्ति के पुनर्वास के लिए मौजूदा अन्तर क्षेत्रक संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित पर्यवेक्षण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए, मेडिकल, नॉन-मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों को शामिल करते हुए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है। इसे सीधे तौर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विद्यमान संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। संस्थाओं में सीटों के आवंटन की पहचान भी की गई है। विस्तार उन विषयों में किया जाएगा जहां सीटें विद्यमान अवसंरचना में स्वीकृत संख्या पर रिक्तियों को भर कर और अतिरिक्त शिक्षण संकाय और सहायक स्टाफ का सृजन करके सीटों को बढ़ाया जा सकता है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तीसरे वर्ष के अंत तक 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवसंरचना विकसित करने के लिए भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस प्रयोजन हेतु 300 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

अप्रैल 2005 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ करने के साथ आठ अधिकार प्राप्त दल (ईएजी) राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश सहित 18 राज्यों पर विशेष संकेन्द्रण किया गया है। एनआरएचएम में ग्रामीण जनसंख्या को, विशेषकर कमजोर वर्गों को सुलभ, किफायती और

गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली में संरचनात्मक सुधार की परिकल्पना की गई है। इसमें देश में मातृत्व मृत्यु अनुपात को प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर 407 से 100 करने, नवजात शिशु मृत्यु दर को प्रति जीवित जन्म पर 60 से 30 और कुल जनन दर 3.0 से 2.1 करने का लक्ष्य है। मिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए मुख्य विशेषताओं में स्वास्थ्य परिदाय प्रणाली को पूरी तरह क्रियाशील और समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाना, मानव संसाधन प्रबंधन, समुदाय की भागीदारी, विकेन्द्रीकरण, मानक के लिए कठोर मानीटरिंग और मूल्यांकन, ग्रामीण स्तर से और उससे ऊपर स्वास्थ्य और संबंधित कार्यक्रमों का समावेशन, नवपरिवर्तन और लोचशील वित्तपोषण तथा स्वास्थ्य संकेतकों के सुधार के लिए दखल शामिल हैं। सभी राज्यों ने मिशन कार्यशील बनाया है और स्वास्थ्य प्रदाय सेवाओं का अतिरिक्त प्रबंधन, सभी स्तरों पर लेखा कार्य और आयोजना सहायता द्वारा इसका पुनरूद्धार किया जा रहा है। उन्नत संभारतंत्र और अधिप्राप्ति सहायता से विभिन्न स्तरों पर सेवाओं की गुणवत्ता और दायरा में सुधार होने की संभावना है। एनआरएचएम के तहत नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार के मुख्य क्षेत्रों में अनेकानेक राज्यों ने नवपरिवर्तन चलाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अग्रणी कार्यक्रम है और यह आशा की जाती है कि एनआरएचएम से 13 परिणामों के अतिरिक्त, मानीटरिंग योग्य सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य, स्वास्थ्य के लिए 11वीं योजना के मिशन द्वारा हासिल किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 15,672 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से 232 करोड़ रुपये आयुष विभाग से प्राप्त होंगे।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष): आयुष का उद्देश्य संगठित व वैज्ञानिक तरीके से भारतीय दवा प्रणालियों का विकास व संवर्धन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग ने अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजना और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदाय में आयुष प्रणालियों को शामिल करके समेकन से उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का भाग बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। आयुष के लिए कुल परिव्यय 800 करोड़ रुपए है।

महिला और बाल विकासः महिला और बाल विकास मंत्रालय के आयोजना परिव्यय ने विगत कुछ वर्षों के दौरान आवंटन में सतत वृद्धि प्रतिबिंबित की है। मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 11,000 करोड़ रुपए है (इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लिए 1,100 करोड़ रुपए शामिल हैं)। मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) है। आईसीडीएस हेतु आवंटन 8,700 करोड़ रुपए है। इस स्कीम में छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व उपचाराधीन माताओं के स्वास्थ्य, पोषाहार व शैक्षिक सेवाओं के एकीकृत पैकेज की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, रेफरल सेवाएं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा शामिल है। स्कीम को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने 792 अतिरिक्त परियोजनाएं और लगभग 3 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र अनुमोदित किया है। अब कुल 7076 परियोजानाएं और 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र हो गए हैं जिनमें मांग पर 20,000 आंगवाड़ी शामिल हैं।

मंत्रालय ने एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम "एकीकृत बाल संरक्षण योजना" 2009-10 से शुरू की है ताकि बच्चों के सर्वांगीन विकास के लिए एक सुरक्षित माहौल का सृजन किया जा सके। इसके अतिरिक्त नई स्कीमें अर्थात राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, 2010-11 में शुरू करने के लिए प्रस्तावित है। महिला सशक्तीकरण के कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं के कार्यसंचालन पर निगरानी रखने के उद्देश्य से एक अन्तर्मंत्रालयी अभिसारण तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन की स्थापना का प्रस्ताव है। अन्य महत्वपूर्ण महिला सशक्तीकरण योजनाओं में स्व-सहायता समूह आधारित सशक्तीकरण योजना - स्वयंसिद्धा चरण-II, राष्ट्रीय महिला कोष की लघु-ऋण योजना, प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता, पुनर्वास और सहायता योजनाएं - स्वाधार तथा अल्प-वास गृह योजना आदि शामिल हैं। अनैतिक देह व्यापार की रोकथाम, बचाव, पीड़ितों का पुनर्वास और परिवार/समुदाय से पुनर्मिलन के लिए एक योजना "उज्जवला" और "धनलक्ष्मी" नामक एक प्रायोगिक योजना "बालिका के लिए बीमा कवर युक्त सशर्त नकदी अंतरण" भी कार्यान्वित की जा रही है।

जलापूर्ति एवं सफाईः ग्यारहवीं योजना के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया जाना है वे हैं, निरन्तरता, जल उपलब्धता और आपूर्ति, जल की खराब गुणवत्ता, केन्द्रीयकृत बनाम विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण तथा महिलाओं, समाज के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों, स्कूली बच्चों, सामाजिक रूप से कमजोर समूहों जैसे गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली माताओं, विकलागों और वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में साम्यता सुनिश्चित कराने पर पूर्ण ध्यान देते हुए सम्यक आधार पर परिचालन व अनुरक्षण लागत के वित्तपोषण की समस्याएं हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को केन्द्रीय सरकार की सहायता के लिए आवंटन मानदण्ड में अतिरिक्त भारांश बिन्दुओं को हटाकर राज्यों के निष्पादन हीनता के स्थान पर निष्पादन को पुरस्कृत करना; आवंटन मानदण्ड 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर हैं; उन राज्यों, जो सृजित आस्तियों का हस्तान्तरण पंचायती राज्य संस्थाओं को करते हैं, उनके लिए अतिरिक्त भारांश बिन्दुओं के रूप में राज्यों के लिए प्रोत्साहन निधियों के रूप में कुल प्रतिशत बिंदुओं के आवंटन की परिकल्पना की गई है।

ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र हेतु 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है (900 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लिए सहित)।

सरकार ग्रामीण जनता के लिए स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को निरंतर सहायता देने को सर्वाधिक महत्व देती आ रही है। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 593 जिलों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं शुरु की गई हैं। यह प्रस्ताव है कि 11वीं योजना के अंत तक सभी जिलों को संपूर्ण स्वच्छता अभियान में कवर किया जाए और 2010 तक स्वच्छता तक पहुंच से वंचित रहे लोगों की संख्या आधी घटकर सहस्त्राब्दि के विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु 1,580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। (जिसमें 158 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए शामिल है)। जलापूर्ति और स्वच्छता हेतु 10,580 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय है (पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम हेतु 1,058 करोड़ रुपए शामिल है)।

आवास

ग्रामीण आवास : ग्रामीण आवास के लिये परिव्यय 10,000 करोड़ रु. है (1,004 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए शामिल हैं)। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर आवासीय यूनिटों के निर्माण में सहायता करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के विद्यमान अनुपयोगी कच्चे मकानों के लिए सहायता देकर उन्हें पक्का करना है। वर्ष 1995-96 से इंदिरा आवास योजना का लाभ युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों और अर्द्धसैनिक बलों के परिवार के सदस्यों को भी प्रदान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 60 प्रतिशत निधियां अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की सहायता के लिए और 3 प्रतिशत विकलागों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के हितों के लिए आरक्षित की गई हैं। इंदिरा आवास योजना की निधियों और भौतिक लक्ष्य का 15 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए अलग से रखे गए हैं। ये आवास इकाइयां निरपवाद रूप में लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम में आवंटित की जाएंगी। वैकल्पिक रूप से इसे पति तथा पत्नी दोनों के नाम से आवंटित किया जा सकता है। सिर्फ उसी मामले में यदि परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है तो मकान पुरुष सदस्य को आवंटित किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता प्रत्येक घर के लिए मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 38,500 रुपये है। इंदिरा आवास योजना के वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत तक को कच्चे घरों को सुधारने और क्रेडिट-सह-सब्सिडी स्कीम हेतु खर्च किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत आवासों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रति इकाई 20,000/- रुपए तक ऋण प्रदायगी संबंधी विभेदक ब्याज दर

योजना के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। 15,000 रुपए उन्नयन के लिए दिए जाते हैं और ऋण-एवं-आर्थिक सहायता योजना के अधीन 32,000/- रुपए तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को मकान सुधारने के लिए 12,500 रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है। वे मकान के निर्माण के लिए बैकों से 50,000 रुपए तक का ऋण भी ले सकते हैं। निधियन पैटर्न केन्द्र तथा राज्य के बीच 75;25 के अनुपात में बंटा हुआ है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र द्वारा 100% निधियां उपलब्ध करायी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में, निधियन 90:10 के अनुपात में है। इंदिरा आवास योजना के भाग के रूप में, अगस्त, 09 से, ग्रामीण बीपीएल परिवारों, जिनके पास घरों के निर्माण के लिए आवास-स्थल जमीन उपलब्ध नहीं है, इस प्रयोजन हेतु प्रति लाभार्थी 10,000/- रुपए देने का प्रावधान किया गया है। केन्द्र और राज्यों के बीच निधियन का वहन 50:50 के अनुपात में किया जाना है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएवाई लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इन्दिरा आवास योजना को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई), पेय जलापूर्ति (डीडब्ल्यूएस), आम आदमी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरजीए) के साथ अभिसारित कर दिया गया है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुल आवंटित निधियों का 5% प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालिक स्थितियों जैसे दंगा, आगजनी और आग, आपवादिक परिस्थितियों में पुनर्वास आदि से उत्पन्न आकस्मिकताएं पूरी करने के लिए अलग से रखा गया है। कोई जिला इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिवर्ष अपने वार्षिक आवंटन का 10% अथवा 70 लाख रुपये (राज्य के हिस्से सहित), जो भी अधिक हो, प्राप्त कर सकता है।

आपातिक स्थितियों यथा दंगा, आगजनी तथा आग से पीड़ित व्यक्तियों को तात्कालिक समय पर सहायता देने के लिए जिलाधिकारियों को जिले के आवंटन से (राज्य के हिस्से सहित) अथवा उनके स्वयं के संसाधनों से, ऊपर उल्लिखित सीमा तक, पीड़ितों को क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण में सहायता प्रदान करने और बाद में प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

शहरी विकासः इस क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 7,605.75 करोड़ रुपए है जिसमें 2,205.75 करोड़ रुपए आं.ब.बा.सं. शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिए यह प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित और समान विकास का उद्देश्य प्राप्त करने और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव कम करने और अन्य शहरी विकास स्कीमों अर्थात् सेटेलाइट शहरों/काउंटर मैगनेट शहरों का विकास, राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली, सामुहिक वित्त विकास निधि, शहरी परिवहन योजना, शहरी क्षेत्र में अनुसंधान और क्षमता निर्माण, राष्ट्रमंडल खेल, शहरी परिवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान और सामान्य पूल रिहायशी आवास, सामान्य पूल कार्यालय स्थान के लिए किया गया है। इसमें जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहर की विकास परियोजना बनाने और तकनीकी सेमिनार, संगोष्ठियां और परामर्श सेवाओं के लिए प्रावधान शामिल किया गया है। इस प्रावधान में दिल्ली मेट्रो रेल निगम, बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना, कोलकात्ता मेट्रो रेल परियोजना चेन्नई मेट्रो रेल, अन्य मेट्रो परियोजनाएं, भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड को अनुसंधान व विकास उत्कृष्ट केन्द्र और दिल्ली, बंगलौर और कोलकात्ता आदि में जन द्रुत परिवहन प्रणाली भी शामिल है। मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम" नामक एक नवगठित संस्था के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने की एक नई पहल की गई है।

सूचना, प्रचार और प्रसारणः सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए 850 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें 343.48 करोड़ रुपए प्रसारण क्षेत्र, सूचना क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये, राष्ट्रमंडल खेल व संबद्ध कार्यक्रमों के लिए 318.52 करोड़ रुपये फिल्म क्षेत्र के लिए 88 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। प्रावधान विशेष आयोजनों के प्रचार के लिए चल छायाचित्रों का संग्रहालय, ग्लोबल फिल्म स्कूल, एनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय केंद्र और राष्ट्रीय एकता, साप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के अन्य विषयों को शामिल कार्यक्रम के लिए है। प्रसार भारती के लिए 340.48 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र; पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद की अपनी स्कीमों और संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल के माध्यम से सड़क और पुल, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, जलापूर्ति आदि क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं शुरु करता है। राज्य आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय हेतु 1,550 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें अव्यपगत केन्द्रीय पूल के संसाधनों से अनुदान के रूप में 800 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों हेतु 700 करोड़ रुपए और बोडो लैंड क्षेत्रीय परिषद हेतु 50 करोड़ रुपए की स्कीमें शामिल है। केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए प्रावधान 190 करोड़ रुपए है जिसमें 60 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, 19.50 करोड़ रुपए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण हेतु, 7 करोड़ रुपए सहायता और प्रचार हेतु 68 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना के लिए है। एनईएसआरपी को पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुलों और पक्का नदीपथ/आयरिश क्रासिंग के निर्माण सहित, प्राथमिकता प्राप्त सड़कों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक के माध्यम से निधिपोषित किए जाने का प्रस्ताव है और पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी), जिसे विश्व बैंक द्वारा निधिपोषित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या के रोजगार की आवश्यकताओं, आय और प्राकृतिक संसाधन की धारणीयता से संबंधित योजना होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष तौर से अरुणाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन एवं उन्नयन के लिए "सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि" के संबंध में 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

कल्याण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याणः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिये 4,500 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 184 करोड़ रुपए सहित)। इसमें अनुसूचित जातियों के कल्याण, अन्य पिछड़े वर्गों के विकास, अपंगों के विकास, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र और अनुसूचित जाति उप-आयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के लिए आवंटन (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 11 करोड़ रुपये सहित 600 करोड़ रुपए) शामिल है। इस योजना से लगभग 7.50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को संभवतः लाभ होगा। अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 1,700 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 25 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान हैं। संभवतः इससे लगभग 44 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 35 करोड़ रुपए सहित (350 करोड़ रुपए) में संभवतः लगभग 30 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना में संभवतः लगभग 28 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 5 करोड़ रुपए सहित 50 करोड़ रुपए)।

जनजातीय मामले : केंद्रीय क्षेत्र आयोजना के अंतर्गत 1,200 करोड़ रूपए के आवंटन में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, बुक बैंक, और योग्यता के संवर्धन (558.03 करोड़ रुपए), प्रशिक्षण और संबद्ध स्कीमों सहित अ.ज.जा. के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा शानदार सेवाओं के लिए ईनाम (55 करोड़ रुपए) कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण (40 करोड़ रुपए), विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीटीजी) (185 करोड़ रुपए), लघु वन उत्पाद हेतु राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान (15 करोड़ रुपए), जनजातीय उत्पादों/उपज के विपणन विकास (12 करोड़ रुपए), अनुसूचित जनजाति की लड़कियों व लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण (78 करोड़ रुपए), जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (9 करोड़ रुपए), जनजातीय उप-आयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना (75 करोड़ रुपए) तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (75 करोड़ रुपए), उत्कृष्ट संस्थान/उत्कृष्ट शिक्षा (2.50 करोड़

रुपए), राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (1 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता (70 करोड़ रुपए) और अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य (24.47 करोड़ रुपए) के लिए प्रावधान शामिल हैं।

अल्पसंख्यक: अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 2,600 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 260 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित) है। इस परिव्यय में बारह योजनाएं शामिल हैं यथा, चुनिंदा अल्पसंख्यकों बहुत आबादी वाले जिलों के लिए बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, और स्नातक और स्नात्तकोत्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता-सह-युक्ति छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण और संबद्ध योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम में कार्यान्वयन के लिए लगी राज्य सरणीकरण एजेंसियों को सहायता-अनुदान, मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन को सहायता-अनुदान, एनएमडीएफसी को इक्विटी और अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, अनुवीक्षण और विकास योजनाओं का मूल्यांकन ढांचों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप, राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण तथा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजनाएं। इसके अलावा, चार नई योजनाओं नामतः राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण, विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप और लघु अल्पसंख्यंक समुदायों की आबादी में कमी दर नियंत्रण के लिए भी आवंटन किया गया है।

श्रम और रोजगार : श्रम मंत्रालय के लिए सकल आधार पर 1,715.16 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें से सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के सम्बन्ध में ब्याज मुक्त ऋण जारी करने के लिए सामाजिक एवं अवसंरचना निधि (एसआईडीएफ) से 750 करोड़ रुपए की पूर्ति की जाएगी। चूंकि यह राशि सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि (एसआईडीएफ) से वसूलियों से पूर्ति की जाती है अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा और इस प्रकार 1,000 करोड़ रुपए का निवल आयोजना परिव्यय होगा। इसमें रोजगार व श्रमिक प्रशिक्षण, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित) कार्य करने की स्थितियां सुधारने व बाल/महिला श्रमिक की सुरक्षा पर बल दिया गया है। केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, अजा/अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम की कल्याण स्कीमों के लिए प्रावधान भी किया गया है।

सामान्य सेवाएं

आयोजना: योजना मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 2,000 करोड़ रुपए है जिसमें से 1,900 करोड़ का प्रावधान भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण के लिए है ।

न्याय प्रशासन: विधि एवं न्याय का आयोजना परिव्यय 280 करोड़ रुपए है जिसमें से 120 करोड़ रुपए देश की जिला एवं अधीनस्थ अदालतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए और 110 करोड़ रुपए न्यायपालिका के अवसंरचनात्मक सुविधा विकास (क्षमता निर्माण एवं अवसंरचना सुविधाओं) के लिए है। न्यायिक सुधार एवं मूल्यांकन प्रास्थिति अध्ययन के लिए 2.43 करोड़ रुपए, भारत में न्याय तक सुव्यवस्थित पहुंच के लिए 7.57 करोड़ रुपए और ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता नामक एक नई परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है।